बालश्रम एवं पैतृक व्यवसाय का उपलब्धि अभिप्रेरणा पर प्रभाव
(IMPACT OF CHILD-LABOUR AND ANCESTRAL OCCCUPATION ON ACHIEVEMENT MOTIVATION)

डा. मनोज कुमार चौहान,
असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग,
गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार,
(उत्तराखण्ड)– 249404

डा. संदीप कुमार,
प्रवक्ता, मनोविज्ञान,
बाला जी कालेज ऑफ लॉ, सोराना, सरसावा,
सहारनपुर, (उत्तर प्रदेश)– 247232

संक्षेप

हमारे देश में बालश्रम एक गंभीर सामुदायिक समस्या के रूप में उपस्थित है। बालकों द्वारा जीविका के लिए श्रम करवाया जाना एक ऐसी अवांछनीय घटना है जो कि उनको शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से क्षति पहुँचाती है। प्रस्तुत शोध–पत्र में बालश्रम एवं पैतृक व्यवसाय का बालकों के उपलब्धि–प्रेरणा के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। बालश्रम के तीन स्तर श्रमिक बालक, श्रमिक स्कूली बालक एवं स्कूली बालक हैं और पैतृक व्यवसाय के तीन स्तर श्रम, व्यपार एवं कृषि लिये गये हैं। शोध अध्ययन में स्वतंत्र चरों के प्राकृतिक प्रतिवेश में संक्रिया के लिए 3 × 3 द्विचरीय कारकीय अभिकल्प को लिया गया है । इस अध्ययन में प्रतिदर्श के रूप में यादृच्छिक रूप से चयनित 315 बालकों को लिया गया है जिनमे से 105 श्रमिक बालक, 105 स्कूली बालक और 105 श्रमिक स्कूली बालक हैं। जिला सहारनपुर, उत्तरप्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक बालकों एवं श्रमिक स्कूली बालकों और विभिन्न स्कूलों से स्कूली बालकों को प्रतिदर्श के लिए चुना गया है तथा प्रदत्त के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रसरण विश्लेषण ;।छव्ट।द्ध का उपयोग किया गया है । इस शोध–अध्ययन में यह पाया गया है कि स्कूली बालकों में उपलब्धि–अभिप्रेरणा का स्तर श्रमिक बालकों तथा श्रमिक स्कूली बालकों की तुलना में अधिक होता है । अध्ययन में यह भी पाया गया है कि सामान्यतः बालकों के पैतृक व्यवसाय का उनकी उपलब्धि–प्रेरणा के स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

मुख्य संप्रत्यय – *बालश्रम, पैतृक व्यवसाय एवं उपलब्धि प्रेरणा*

निर्धनता मानव जीवन का ऐसा अभिशाप है, जिससे परिवार का वर्तमान तो परिसंकटमय होता ही है भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। निर्धनता की सबसे बुरी मार बच्चों पर पड़ती है, उनकी बाल सुलभ क्रियाऐं निर्धनता की भेंट चढ़ जाती हैं; जो समय लिख–पढ़ कर अपना जीवन सँवारने का होना चाहिए वह समय अपने लिये और अपने परिवार के लिये रोजी–रोटी का जुगाड़ करने में न जाने कहाँ खो जाता है; पौ फटने से लेकर रात के तीसरे पहर तक होटलों, ढ़ाबों में झूठे बर्तन साफ करते, चौराहों पर चमचमाती गाड़ियों के शीशे साफ करते, साईकिलों, मोटर साईकिलों की मरम्मत करते, अखबार बेचते, ईंट, भट्टों पर मिट्टी और ईंट ढ़ोते, कूड़ा घरों से

कचरा बीनते बाल श्रमिक तो रोजमर्रा की बाते हैं जो मन और आत्मा को अन्दर तक कचोट जाती हैं। लेकिन यह तो समस्या का एक छोटा सा स्वरूप है जो ऊपर से दिखाई दे जाता है, बालश्रम का सबसे सर्वाधिक घिनौना स्वरूप तो वह है जो दरी–कालीन बनाने वाली इकाइयों, कांच की भट्टियों, सलेट बनाने वाली इकाइयों, बीड़ी–सिगरेट बनाने वाली इकाइयों, मार्बल की कलात्मक वस्तुएँ बनाने वाली इकाइयों, माचिस बनाने वाली इकाइयों, पटाखे बनाने वाली इकाइयों, भवन निर्माण स्थलों, हीरा तराश्ने वाली इकाइयों, पीतल के बर्तन और कलात्मक वस्तुए बनाने वाली इकाइयों, ताला, चाकू बनाने वाली इकाइयों में कार्यरत लाखों बालश्रमिकों की कार्यदशाओं को देखने पर पता चलता है

बालश्रमिकों की समस्या केवल भारत अथवा अन्य विकासशील देशों की ही नहीं वरन् संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित देश भी इस मानवीय समस्या से दो–चार हैं। विश्व के प्रत्येक देश में बालश्रम किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

बालश्रम का अर्थ

बच्चों से मेहनत मजदूरी कराने की कुप्रथा उतनी पुरानी है जितना पुराना मनुष्य का इतिहास है प्राचीन काल से लेकर आज–तक इसका प्रचलन जारी है। भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों में बालश्रम की कुप्रथा जारी है। बाल श्रमिक वे बच्चे हैं जिन्हें अपना जीवन सबसे महत्वपूर्ण दौर में अपने व्यक्तित्व–निर्माण की बजाय अपने परिवार तथा अपना पेट पालने के लिये दो पैसे की खातिर मेहनत–मजदूरी करने पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गरीबी, अज्ञानता और दूसरों पर निर्भरता का बोझ विकासशील देशों में बाल मजदूरी कुप्रथा का कारण है।

संयुक्त राष्ट्र बाल श्रम संघ के अध्यक्ष होमर फाक्स के अनुसार–

बच्चों द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य जिससे उनके पूर्ण शरीरिक विकास और शिक्षा के अवसरों या उनके लिये आवश्यक मनोरंजन में बाधा उत्पन्न होती हो 'बालश्रम' कहलाता है।

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार–

बालश्रम के अर्न्तगत ऐसे बच्चे शामिल होते हैं जिन्हे स्थायी रूप से व्यस्कों सा जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ता है और जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली परिस्थितियों में बहुत कम मजदूरी पर कई घंटों के लिये कार्य करने को विवश हैं इससे उनका शरीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है और कभी–कभी तो अपने परिवारों से भी बिछुड़ना पड़ता है। अक्सर वे ऐसी उद्देश्यपूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते है, जिससे बेहतर भविष्य की सम्भावनायें बनती हैं (अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन, 1999)।

प्रस्तुत अध्ययन में उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा

उपलब्धि की आवश्यकता या जिसे उपलब्धि अभिप्रेरक भी कहा जाता है, से तात्पर्य एक ऐसे अभिप्रेरक से होता है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कार्य को इस ढ़ंग से करता है कि उसे उसमें अधिक से अधिक सफलता मिल सके। मन, फर्नाल्ड व फर्नाल्ड (1972) ने उपलब्धि अभिप्रेरक को परिभाषित करते हुए कहा है– " उपलब्धि अभिप्रेरक से तात्पर्य श्रेष्ठता के खास स्तर प्राप्त करने की इच्छा से होता है। जिन व्यक्तियों में उपलब्धि अभिप्रेरक अधिक होता है, वे अपनी जिन्दगी में अधिक से अधिक उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक सभी व्यक्तियों में समान नहीं होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययन कर यह दिखला दिया है कि उपलब्धि अभिप्रेरक का संबंध बचपन में माता–पिता द्वारा दिए जाने वाले स्वतंत्रता प्रशिक्षण से काफी है। इस प्रशिक्षण से तात्पर्य बच्चों को माता–पिता द्वारा स्वतंत्र रूप से

भिन्न भिन्न तरह के कार्य करने देने पर जोर डालने से होता है।

उपलब्धि अभिप्रेरक को मैकक्लिलैण्ड तथा उनके सहयोगियों (McClelland et al., 1953) द्वारा विस्तृत रूप में अध्ययन किया गया है तथा टी.ए.टी. (Thematic Apperception Test) द्वारा इसे मापा भी गया। बाद में एटकिन्सन (Atkinson, 1964) तथा होयेन्गा तथा होयेन्गा (Hoyenga & Hoyenga, 1984) द्वारा भी उपलब्धि का अध्ययन किया गया ।

उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्तित्व गत्यात्मकता को प्रदर्शित करती है। एम0एन0मन (1953) के अनुसार– व्यक्तित्व की परिभाषा उस अति विशेषता पूर्ण संगठन के रूप में की जा सकती है जिसमें व्यक्ति की संरचना व्यवहार के ढंग, रूचियां, अभिवृत्तियां, क्षमतायें, योग्यतायें सम्मिलित हैं।

आई जेन्क (1970) के अनुसार– व्यक्ति की अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थाओं का व्यक्तित्व सापेक्ष रूप से स्थिर संगठन है, जिसकी उत्पत्ति जैविक अन्तर्नोदों, सामाजिक तथा भौतिक वातावरण की अन्तक्रिया के फल स्वरूप होती है। एक व्यक्तित्व की यदि विस्तृत रूप से परिभाषा दी जाये तो यह व्यक्ति के व्यवहार की सम्पूर्ण विशेषता है, जिसका प्रदर्शन उसके विचारों, आदतों, अभिव्याक्ति के ढंग, अभिवृत्तियों, रूचियों, कार्य करने के ढंग तथा जीवन के प्रति व्यक्ति के दार्शनिक दृष्टि के द्वारा होता है।

सरकारी उपाय और सुधार की राष्ट्रीय नीति

भारत में बाल मजदूरी तथा बच्चों के शोषण पर अनेक कानूनी प्रतिबन्ध लगे हुये हैं। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाने में नहीं रखा जा सकता। कारखाना अधिनियम 1948, बाल अधिनियम 1960 (संशोधित–1978), बाल श्रमिक अधिनियम 1986 तथा अनेक कानूनों में भी बच्चों को अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में श्रम पर लगाने पर प्रतिबन्ध है (आ0 के0 प्रधान, इन्द्रा, जय सिंह और के0 सी0 दुआ, 2003)।

बालकों के नियोजन और उनके काम के घन्टों को नियन्त्रित करने के लिये पहला अधिनियम जो बना वह था 1881 का फैक्ट्री एक्ट (अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन, 1999)। बाल नियोजन की न्यूनतम आयु को निर्धारित करने के लिये 1929 में एक आयोग नियुक्त किया गया। उसकी सिफारिश पर चाइल्ड लेबर एक्ट, 1933 पारित किया गया जिसने 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया (जुआन सोमाविया 16 जून, 1999; प्रतियोगिता दर्पण, मई 2003)। फैक्ट्री एक्ट, 1948 ने बाल श्रमिकों के लिये कुछ सुरक्षायें प्रदान की। 1986 में लोक सभा ने चाइल्ड लेबर एक्ट (रेगुलेशन एण्ड–प्रोहिबिशन) बनाया, जिसके द्वारा कुछ विशेष नौकरियों में बाल नियुक्ति की योजना बनाई गई और जोखिमी रोजगार में काम की शर्तों को नियन्त्रित किया गया (मीर्डिया एस. एस., 1998)। जुविनाइल जस्टिस एक्ट, 1986, जिसने विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में विद्यमान 25 बालकों के अधिनियमों (चिल्ड्रन एक्टस) का स्थान लिया और जो 2 अक्टूबर, 1987 से प्रभाव में आया (शिविर पत्रिका, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, अप्रैल, 1997)। बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बालकों की सुरक्षा एवं देख–भाल के लिए, संसाधनों के संग्रहण के लिए, शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये, और उपेक्षित बालकों के प्रशिक्षण और पुर्नवास के लिये, सलाहकार बोर्डों के गठन और स्टेट चिल्ड्रन फंड को स्थापित करने का प्रवाधान है। परन्तु इन सब उपायों के बावजूद बच्चों की नियुक्ति, उत्पीड़न और उनके प्रति दुर्व्यवहार

जारी है। परन्तु व्यवहार में कानूनों से बचने के लिये अनेक साधन ढूंढ लिये जाते हैं।

शोध का उद्देश्य

1. **प्रस्तुत शोध का उद्देश्य बालश्रम एवं पैतृक व्यवसाय का बालकों के उपलब्धि अभिप्रेरणा के स्तरों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है।**
2. **बालश्रम एवं पैतृक व्यवसाय का उपलब्धि प्रेरणा के संबंध में अन्तःक्रिया प्रभावों का अध्ययन करना है।**

शोध प्रविधि

चर या परिवर्त्य

वर्तमान अध्ययन में प्रयुक्त चरः–

1. स्वतन्त्र चरः– वर्तमान अध्ययन में दो स्वतन्त्र चर बाल श्रम एवं पैतृक व्यवसाय हैं। इनके तीन–तीन स्तर हैं।

(अ) बालश्रम

बालकों में श्रम करने की मात्रा का उनके उपलब्धि अभिप्रेरणा के स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करने की दृष्टि से बालश्रम के तीन स्तर लिए गये हैं– (i) श्रमिक बालक (ii) स्कूली बालक (iii) श्रमिक स्कूली बालक

(ब) पैतृक व्यवसाय

अलग–अलग बालकों के विभिन्न पैतृक व्यवसाय के उनके उपलब्धि अभिप्रेरणा के स्तर पर प्रभाव की दृष्टि से पैतृक व्यवसाय के तीन स्तरों को लिया गया है– (i) श्रम (ii) व्यापार (iii) कृषि

2. आश्रित चरः– वर्तमान अध्ययन में आश्रित चर बालकों की उपलब्धि–अभिप्रेरणा है।

3. नियन्त्रित चरः

वर्तमान अध्ययन में बाहय चरों जैसे श्रमिक बालकों के कार्य–स्थल पर श्रम करने के समय या श्रम की मात्रा के प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे बालकों को लिया गया है जो पूरे दिन भर श्रम कर रहे हैं तथा स्कूली बालकों का सामाजिक–आर्थिक स्तर को भी लगभग समान रखा गया। साथ ही बाहय चर स्वास्थय को नियंत्रित करने की दृष्टि से अध्ययन में सभी स्वस्थ बालकों को ही चुना गया है। माता–पिता के वंचन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए केवल ऐसे बालकों का चयन किया गया जिनका पालन माता एवं पिता दोनों की देख–रेख में हो रहा था।

प्रतिदर्श

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य श्रमिक बालकों, स्कूली बालकों एवं श्रमिक स्कूली बालकों के उपलब्धि–अभिप्रेरणा का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में प्रतिदर्श के रूप में यादृच्छिक रूप से चयनित 315 बालकों को लिया गया है जिनमे से 105 श्रमिक बालक, 105 स्कूली–बालक और 105 श्रमिक स्कूली बालक हैं। ये सभी बालक जिला सहारनपुर, उत्तरप्रदेश के हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिदर्श के चुनाव का क्षेत्र

1. श्रमिक बालकः

प्रस्तुत अध्ययन में जो श्रमिक बालक लिए गए हैं। उनकी संख्या 105 है जो जिला सहारनपुर के अनेक स्थानों के मण्डी रोड़, कमेला, पीरवाली गली, मौ. शककोवाला से प्रतिदर्श लिया गया है।

2. श्रमिक–स्कूली बालकः

प्रतिदर्श में तुलनात्मक अध्ययन हेतु श्रमिक स्कूली बालकों को लिया गया है। जो बालक स्कूल जाते है तथा स्कूल जाने से पहले और स्कूल समय के

बाद अपने माता–पिता के साथ घर अन्य किसी स्थान दुकान, मिस्त्री के पास श्रम करते है अथवा कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते हैं अथवा घरेलू तथा फर्नीचर के कार्यो में कार्यरत ऐसे स्कूली बाल श्रमिकों की प्रतिदर्श संख्या 105 है। जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम से कम है ये श्रमिक स्कूली बालक ग्रामीण स्कूलों से लिए गए हैं। यह बालक झबीरण, बुढेडा, गदर हेडी सहारनपुर से लिए गए हैं।

प्रतिदर्श में लिये गये बाल श्रमिकों (श्रमिक बालक एवं श्रमिक स्कूली बालक)की स्थिति

ये बालक निम्नलिखित व्यवसायों व कार्यों से लिये गये हैं।

1. चाय की दुकान पर काम करने वाले बाल श्रमिक।
2. स्कूटर तथा मोटर साईकिल की दुकान या वर्कशाप पर श्रम करने वाले बाल श्रमिक।
3. साईकिल मिस्त्री की दुकान पर श्रम करने वाले बालश्रमिक।
4. टायर पंचर की वर्कशाप पर काम करने वाले बालश्रमिक।
5. ईंट के भट्टों पर ईटें बनाने तथा भट्टों मे ईंटें पहुॅचाने और भट्टों से ईंट निकासी के कार्य में जो बाल श्रमिक कार्यरत हैं और उनकी आयु 14 वर्ष से कम है वे प्रतिदर्श में लिये गये हैं।
6. सहारनपुर में काष्ठ कला उद्योग के अंतर्गत लकड़ी निकासी या लकड़ी पर कसीदाहकारी फूल और अनेक चमकीलें और आर्कषक डिजाइन निकालने वाले बालश्रमिकों को भी अपने प्रतिदर्श में शमिल किया गया है जोकि सुबह से शाम 12 से 16 घंटे का श्रम करते हैं।
7. मोटर और ट्रैक्टर वर्कशाप तथा सर्विस सैन्टर (धुलाई केन्द्र) पर श्रम करने वाले बाल श्रमिक प्रतिदर्श में शामिल हैं।
8. पेन्टर (रंगाई) करने वाले जो स्प्रे पेन्ट का कार्य कर रहे हैं ओर जो स्प्रे द्वारा पेंट की बदबू, और जो पेन्ट स्प्रे द्वारा उडता है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है, उसमें श्रम कर रहे बाल श्रमिकों को प्रतिदर्श में लिया गया है। ये श्रमिक सरसावा जिला सहारनपुर से लिये गये हैं।
9. घरेलु नौकर के रूप में श्रम कर रहे बाल श्रमिक प्रतिदर्श में लिये गये हैं।
10. फर्नीचर बनाने में जो बाल श्रमिक श्रम कर रहे है प्रतिदर्श में शामिल हैं।
11. कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत बाल श्रमिक।
12. ठेला लगाने वाले या सड़कों पर छोटे सामानों को बेचने वाले बाल श्रमिक।

प्रस्तुत प्रतिदर्श में उपरोक्त सोत्रों से जो श्रमिक बालक प्रतिदर्श के रूप में लिये गये है उनके वस्त्र गन्दे और ढीले–ढाले तथा काफी पुराने, फटे हुये और शरीर पर लटके हुये थे और उनका चेहरा हाथ पांव देखने से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि इन्होंने स्नान किया ही न हो तथा जो बाल श्रमिक घरेलू तथा फर्नीचर के कार्यो में कार्यरत् थे। उनकी स्थिति शारीरिक साफ–सफाई अन्य से बेहतर दिखाई दी।

श्रमिक बालकों एवं श्रमिक स्कूली बालकों का परिवारः– सभी श्रमिक बालकों के परिवार सदस्यों की संख्या 7 से 12 सदस्य है तथा इनके अभिभावक नशे के आदि और खराब स्वास्थ्य के है।

आर्थिक स्थितिः– सभी बाल श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न (खराब) स्तर की पायी

गयी इनके परिवार की आय विभिन्न मजदूरी कार्य, कृषि कार्य और ठेला लगाना परिवार की आय के साधन है।

शिक्षा का स्तरः– बाल श्रमिकों और उनके परिवार का शिक्षा का स्तर कक्षा 4 से लेकर कक्षा 10 तक तथा परिवार में निरक्षर सदस्य भी मिले।

स्कूली बालक

प्रतिदर्श में वे स्कूली बालक लिए गए है जो केवल स्कूल जाते है। स्कूल कार्य और खेल के अलावा कोई भी श्रमिक कार्य नही करते हैं। इनकी संख्या 105 है ये सरसावा के गुरुनानक पब्लिक स्कूल, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, रामनाथ वैद्य भारती पब्लिक स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूलों से लिए गए हैं।

परिवार– स्कूली बालकों का परिवार छोटा और परिवार के सदस्यों की संख्या तीन से छः तक पायी गयी है।

आर्थिक स्थितिः– स्कूली बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न वर्ग से कुछ अच्छी है। तथा इनके माता–पिता और अभिभावक नौकरी पेशे से संबंधित है। जो शूगर फैक्ट्री तथा एयर फोर्स और रेलवे में छोटे पदों पर कार्यरत हैं अथवा निम्न स्तरीय लघु कुटीर उद्योग से संबंधित व्यापार करने वाले और सीमित कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने वाले कृषक हैं।

शोध–प्रारूप एवं सांख्यिकीय तकनीक

वर्तमान शोध में स्वतंत्र चरों के प्राकृतिक प्रतिवेश में संक्रिया के लिए 3 × 3 द्विचरीय कारकीय अभिकल्प को लिया गया है जो परतंत्र चरों पर प्रभाव डालने वाले स्वतंत्र चरों के मध्य अन्तः क्रिया के अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। एक 3 × 3 द्विचरीय कारकीय प्रयोग वह है जिसमें दो कारक होते हैं तथा जिनमें से प्रत्येक कारक के तीन–तीन स्तर होते हैं। शोध में प्रयोग के लिए तीन शून्य परिकल्पनाओं के आनुभविक जाँच हेतु आवश्यक मुख्य प्रभावों तथा प्रथम कोटि के अन्तः क्रिया प्रभाव को निर्धारित के लिए प्रसरण विश्लेषण की विधि का उपयोग किया गया है।

यह एक तथ्येत्तर प्रतिपादन शोध–अध्ययन है जिसमें स्वतंत्र चरों की भूमिका का आकलन प्रतिगामी परिस्थिति में करने का प्रयास किया गया है। तथ्येत्तर प्रतिपादन शोध नियोजित, क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित आनुभविक जाँच है जिसमें वैज्ञानिक चरों का सीधा नियंत्रण नहीं करता है क्योंकि उनका अविर्भाव पहले से ही घटित हुआ होता है अथवा जन्मजात रूप से उनका प्रहस्तलन नहीं हो सकता है। स्वतंत्र एवं परतंत्र चरों के सहगामी प्रसरण के द्वारा, चरों के मध्य सम्बन्धों का अनुमान बिना सीधे हस्तक्षेप किये लगाया जाता है ; करलिंगर, एफ. एन., 1973)। यदि मुख्य प्रभावों अथवा अन्तः क्रिया प्रभावों के लिए 'एफ' का मान 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थक होने पर इनके विघटनों (break ups) के द्वारा इनके स्तरों (levels) के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच के लिए 'टी'–परीक्षण का उपयोग कया गया है।

शोध प्रारूप

परिवर्त्य		पैतृक व्यवसाय			∑
		श्रम	व्यापार	कृषि	
बालश्रम	श्रमिक बालक	1065	1095	1109	3269
	स्कूली बालक	1123	1148	1143	3414
	श्रमिक–स्कूली बालक	1123	1050	1105	3278
∑		3311	3293	3357	9961

मनोवैज्ञानिक परीक्षण

प्रस्तुत अध्ययन में आश्रित चर के मापन के लिये निम्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया गया है।

थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट

साधन : थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट।

लेखक : हेनरी ए. मुर्रे ;टी.ए.टी. प्रपत्र का भारतीय अनुकूलन, हिन्दी रूपान्तरण, द्वारा– महेश भार्गव।

प्रकृति : प्रक्षेपी, तस्वीर को देखकर कहानी लेखन। साक्षर तथा असाक्षर दोनों व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त ।

समूह/व्यक्तिगत : दोनों।

आयु सीमा : 12 से 40 वर्ष के मध्य ।

समय सीमा : प्रत्येक कार्ड की तस्वीर की कहानी के लिए 5 मिनट, 10 कार्ड की तस्वीरों के लिए कुल समय 50 मिनट।

संरचना : 31 तस्वीर–कार्ड, मापनी में चार मुख्य वर्गों में व्यक्तित्व गत्यात्मकता की पृथक–पृथक 51 विमाओं का अध्ययन होता है।

परिकल्पनायें

वर्तमान अध्ययन में 3 × 3 द्विचरीय कारकीय प्रयोग हेतु निर्मित की गयी शून्य उपकल्पनायें निम्नलिखित हैं ।

शून्य परिकल्पनायें : (एफ. परीक्षण)

1. उपलब्धि = *फलन* बालश्रम

2. उपलब्धि = *फलन* पैतृक व्यवसाय

3. उपलब्धि = *फलन* बालश्रम ग पैतृक व्यवसाय = 0

परिणाम

प्रसरण विश्लेषण का सारांश (एल्फा .05)

उपलब्धि अभिप्रेरणा : प्रसरण विश्लेषण का सारांश (3 × 3 द्विचरीय कारकीय अभिकल्प)

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	संभाव्यता
उपचार	247.24	8	30.91		
बालश्रम	125.99	2	63.00	7.22	< 0.01
पैतृक व्यवसाय	20.74	2	10.37	1.19	
बालश्रम × पैतृक व्यवसाय	100.51	4	25.13	2.88	< 0.05
त्रूटि	2670.80	306	8.73		
योग	2918.40	314			

एफ $_{0.05}$ (2, 306) = 3.02 **एफ $_{0.01}$ (2, 306) = 4.66**

एफ $_{0.05}$ (4, 306) = 2.40 **एफ $_{0.01}$ (4, 306) = 3.37**

सार्थक परिणामों का विवरण एवं विश्लेषण

1. स्वीकृत शून्य परिकल्पना (सं0– 2) यह दर्शाती हैं कि मुख्य प्रभाव (पैतृक व्यवसाय) बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा के स्तर पर सार्थक नहीं हैं।

2. अस्वीकृत शून्य परिकल्पनाओं का विवरण एवं विश्लेषण निम्नोक्त हैः–

   a. **(क)** शून्य परिकल्पना सं0 1 बालश्रम 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

मुख्य प्रभाव का विघटन (बालश्रम)

समूह		सं.	मध्य.	मा.वि.	मा.त्रु.	स्व.अं.	क्रां.अ.	संभा.
(I) बालश्रम	श्रमिक बालक	105	31.13	2.29	0.45	208	3.07	< 0.01
	स्कूली बालक	105	32.51	4.02				
(II) बालश्रम	श्रमिक बालक	105	31.13	2.29	0.32	208	0.28	
	श्रमिक–स्कूली बालक	105	31.22	2.36				
(III) बालश्रम	स्कूली बालक	105	32.51	4.02	0.45	208	2.87	< 0.01
	श्रमिक–स्कूली बालक	105	31.22	2.36				

का.अ. $_{0.05}$ (208) = 1.97

का.अ. $_{0.01}$ (208) = 2.59

I. बालश्रम ***(श्रमिक बालक : स्कूली बालक)*** ***संभा. < .01***

स्कूली बालकों में उपलब्धि का स्तर श्रमिक बालकों की तुलना में अधिक पाया गया है।

II. बालश्रम ***(स्कूली बालक : श्रमिक–स्कूली बालक)*** ***संभा. < .01***

स्कूल जाने वाले बालकों में उपलब्धि का स्तर श्रमिक–स्कूली बालकों की अपेक्षा अधिक पाया गया है।

(ख) शून्य परिकल्पना सं0 3 बालश्रम × पैतृक व्यवसाय 0.05 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

द्विचरीय अन्तःक्रिया प्रभाव का विघटन (बालश्रम × पैतृक व्यवसाय)

समूह			सं.	मध्य.	मा.वि.	मा.त्रु.	स्व.अं.	कां.अ.	संभा.
I	श्रमिक बालक	श्रम	35	30.43	1.46	0.44	68	1.95	
		व्यापार	35	31.29	2.15				
II	श्रमिक बालक	श्रम	35	30.43	1.46	0.53	68	2.38	< 0.05
		कृषि	35	31.69	2.75				
III	श्रमिक बालक	व्यापार	35	31.29	2.15	0.59	68	0.68	
		कृषि	35	31.69	2.75				
IV	स्कूली बालक	श्रम	35	32.09	4.91	1.07	68	0.66	
		व्यापार	35	32.80	4.01				
V	स्कूली बालक	श्रम	35	32.09	4.91	0.95	68	0.60	
		कृषि	35	32.66	2.69				
VI	स्कूली बालक	व्यापार	35	32.80	4.01	0.82	68	0.17	
		कृषि	35	32.66	2.69				
VII	श्रमिक–स्कूली बालक	श्रम	35	32.09	3.09	0.52	68	0.17	
		व्यापार	35	30.00	0.00				
VIII	श्रमिक–स्कूली बालक	श्रम	35	32.09	3.09	0.65	68	0.80	
		कृषि	35	31.57	2.27				
IX	श्रमिक–स्कूली बालक	व्यापार	35	30.00	0.00	0.38	68	3.63	< 0.01
		कृषि	35	31.57	2.27				

X.	श्रम	श्रमिक बालक	35	30.43	1.46	0.87	68	1.91	
		स्कूली बालक	35	32.09	4.91				
XI.	श्रम	श्रमिक बालक	35	30.43	1.46	0.57	68	2.91	< 0.01
		श्रमिक–स्कूली बालक	35	32.09	3.06				
XII	श्रम	स्कूली बालक	35	32.09	4.91	0.00	68	0.00	
		श्रमिक–स्कूली बालक	35	32.09	3.06				
XIII	व्यापार	श्रमिक बालक	35	31.29	2.15	0.77	68	1.96	
		स्कूली बालक	35	32.80	4.01				
XIV	व्यापार	श्रमिक बालक	35	31.29	2.15	0.36	68	0.81	
		श्रमिक–स्कूली बालक	35	30.00	0.00				
XV	व्यापार	स्कूली बालक	35	32.80	4.01	0.68	68	1.18	
		श्रमिक–स्कूली बालक	35	30.00	0.00				
XVI	कृषि	श्रमिक बालक	35	31.69	2.75	0.66	68	1.47	
		स्कूली बालक	35	32.66	2.69				
XVII	कृषि	श्रमिक बालक	35	31.69	2.75	0.61	68	0.20	
		श्रमिक–स्कूली बालक	35	31.57	2.27				

XVIII	कृषि	स्कूली बालक	35	32.66	2.69	0.60	68	1.82	
		श्रमिक–स्कूली बालक	35	31.57	2.27				

का.अ. $_{0.05}$ **(68) = 2.00**

का.अ. $_{0.01}$ **(68) = 2.65**

(II) श्रमिक बालक *(श्रम : कृषि)* *संभा. < .05*

कृषि पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक बालकों में उपलब्धि का स्तर श्रम पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक बालकों की तुलना में अधिक पाया गया है।

(IX) श्रमिक स्कूली–बालक *(व्यापार : कृषि) संभा. < .01*

कृशि पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक स्कूली–बालकों में उपलब्धि का स्तर वयापार पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक स्कूली–बालकों की तुलना में अधिक पाया गया है।

(XI) श्रम *(श्रमिक बालक : श्रमिक स्कूली–बालक) संभा. < .01*

श्रम पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक स्कूली–बालकों में उपलब्धि का स्तर श्रम पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक बालकों की तुलना में अधिक पाया गया है।

व्याख्या एवं निष्कर्ष

शोध–अध्ययन के परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि श्रमिक बालकों (M=10.37) तथा श्रमिक स्कूली बालकों (M=10.40) में उपलब्धि की अभिप्रेरणा का स्तर स्कूली बालकों (M=10.83) की तुलना में न्यून देखा गया है।

कृषि पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक बालकों (M= 10.56) में उपलब्धि का स्तर श्रम पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक बालकों (M= 10.14) की तुलना में अधिक पाया गया है।

कृषि पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक स्कूली–बालकों में (M= 10.52) उपलब्धि का स्तर व्यापार पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक–स्कूली बालकों ;M= 10.00) की तुलना में अधिक पाया गया है।

श्रम पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक– स्कूली बालकों (M= 10.69) में उपलब्धि का स्तर श्रम पैतृक व्यवसाय वाले श्रमिक बालकों (M= 10.14) की तुलना में अधिक पाया गया है।

बालश्रम एक प्रकार से वातावरणीय घटक है जो बालकों की व्यक्तित्व गत्यात्मकता को प्रभावित करते हुए उनके समायोजन को निर्धारित करता है। वातावरण का प्रभाव बालकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर पड़ने के कारण उनके द्वन्द्वों एवं रक्षा–युक्तियों के तरीकों को निर्धारित करता है। इस संदर्भ में अनेकों मनोवैज्ञानिकों के शोध–परिणामों से भी यह प्रदर्शित होता है। लाइटलोन एवं कोटलोन (1996) ने अपने अध्ययन में पाया कि विद्यालय का वातावरण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। अरशेयर (1935) ने अपने अध्ययन में पाया कि बालक का विद्यालय जीवन का आरम्भ है यदि शैक्षिक वातावरण अच्छा है तो उसकी उपलब्धियों में अवश्य ही धनात्मक प्रगति होगी। हान्जिग (1957) ने अपने अध्ययन में पाया कि वातावरण बालक की तमाम शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने में सहायक होता है।

प्लांट (1963) ने अपने अध्ययन में पाया कि परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति का बालक

की शैक्षिक उपलब्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राजेनवर्ग (1965) ने अपने अध्ययन मे पाया कि निम्न सामाजिक स्तर वाले परिवारों का वातावरण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। अरशेयर (1935) ने अपने अध्ययन में पाया कि बालक के परिवार का वातावरण यदि अनुकूलित होगा तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी धनात्मक होगी। कोल मैन (1969) ने समायोजन को परिभाषित करते हुये लिखा है कि समायोजन व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कठिनाईयों का सामना करने के प्रयास का परिणाम है। स्मिथ (1961) ने समायोजन को इस प्रकार समझाया है कि अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा अच्छा संतोष देने वाला होता है। यह कुण्ठाओं तनाव एवं दुशचिन्ताओं को जहॉ तक सम्भव है कम करता है। हुडेन (1969) ने अपने अध्ययन में पाया कि विद्यालय का औपचारिक वातावरण छात्रों में समायोजित होने की क्षमता बढ़ाता है। ट्रो (1970) ने अपने अध्ययन में पाया कि समायोजन वातावरण में एक ऐसा सामंजस्य पूर्ण सम्बंध है जो व्यक्ति की अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से करता है। पाठक (1972) ने अपने अध्ययन में पाया कि जो विद्यार्थी विद्यालय परिवेश के कारण चिन्तित होते है वे सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न रूप से समायोजित होते है। टी0 पी0 लुला (1974) ने 1800 छात्र–छात्राओं का अध्ययन कर पाया कि उचित विद्यालय परिवेश उच्च समायोजन हेतु उद्दीपन का कार्य करता है।

निष्कर्षतः परिणामों की सहायता से यह कहा जा सकता है कि बालकों का स्कूल जाना उनके उपलब्धि अभिप्रेरणा के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है । परंतु सामान्यतः पैतृक व्यवसाय का बालकों के उपलब्धि अभिप्रेरणा के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । बालश्रम एवं पैतृक व्यवसाय के अन्तःक्रिया का बालकों के उपलब्धि अभिप्रेरणा पर सार्थक प्रभाव देखने को मिलता है।

संदर्भ–सूची

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (1999): बाल श्रम के अत्यधिक असहनीय रूपों की पहचान–16 जून (प्रतियोगिता दर्पण) पेज–179

आ0 के0 प्रधान, इन्द्रा, जय सिंह और के0 सी0 दुआ (2003): बाल श्रमिकों को रोजगार देने वाले खतरनाक उद्योगों को सूचीबद्ध किया– प्रतियोगिता दर्पण (मार्च) पेज–173

आईजेनक (1970): बाल व्यक्तित्व की परिभाषा– बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास– (डा0 प्रीति वर्मा एवं डा0 डी0एन0 श्री वास्तव), पेज–441

जुआन सोमाविया (16 जून 1999): महानिदेश अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम के बदतर स्वरूपों पर समझौता, प्रतियोगिता दर्पण, मई 2003; पेज–179–182

एम0 एन0 मन (1953): व्यक्तित्व की परिभाषा–बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास (डा0 प्रीति वर्मा एवं डा0 डी0एन0 श्री वास्तव); पेज–439

शिविर पत्रिका (अप्रैल, 1997): प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान।

मीर्डिया एस0 एस0 (1998): बाल मजदूरों की दशा, समस्या एवं निराकरण साहित्य परिचय ग– विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।

करलिंगर, एफ. एन. (1973): फाउंडेशन ऑफ बिहेविअर्ल रिसर्च, सुरजीत पब्लिकेशन्स, 7-K, कोल्हापुर रोड, कमला नगर, न्यू दिल्ली–7

Munn, Fernald & Fernald (1972): Introduction to Psychology, p.369

Smith, Aine, (2005): "Child labour : *The Pakistani Effort to End a Scourge upon Humanity - Is it Enough?*" San Diego International Law Journal v. 6 no2 p. 461-494.

शोध–अध्ययन में प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची

1. सं. = संख्या
2. मध्य. = मध्यमान
3. मा.वि. = मानक विचलन
4. मा.त्रु. = मानक त्रुटि
5. स्व.अं. = स्वतन्त्रता के अंश
6. कां.अ. = कान्तिक अनुपात ('टी'–अनुपात)
7. संभा. = संभाव्यता
8. एफ $_{0.05}$ (2, 306) = 3.02 = उपचारांतर वर्गों के योग एवं उपचारांतर्गत वर्गों के योग का क्रमशः स्वतन्त्रता के अंशों 2 तथा 306 के लिए 0.05 विश्वसनीयता स्तर पर 'एफ'–अनुपात का एफ–सारणीय मान 3.02 है।
9. एफ $_{0.01}$ (2, 306) = 4.66 = उपचारांतर वर्गों के योग एवं उपचारांतर्गत वर्गों के योग का क्रमशः स्वतन्त्रता के अंशों 2 तथा 306 के लिए 0.01 विश्वसनीयता स्तर पर 'एफ'–अनुपात का एफ–सारणीय मान 4.66 है।
10. एफ $_{0.05}$ (4, 306) = 2.40 = उपचारांतर वर्गों के योग एवं उपचारांतर्गत वर्गों के योग का क्रमशः स्वतन्त्रता के अंशों 4 तथा 306 के लिए 0.05 विश्वसनीयता स्तर पर 'एफ'–अनुपात का एपफ–सारणीय मान 2.40 है।
11. एफ $_{0.01}$ (4, 306) = 3.37 = उपचारांतर वर्गों के योग एवं उपचारांतर्गत वर्गों के योग का क्रमशः स्वतन्त्रता के अंशों 4 तथा 306 के लिए 0.01 विश्वसनीयता स्तर पर 'एफ'–अनुपात का एफ–सारणीय मान 3.37 है।
12. $\sum$ = योग

Copyright © 2017 *Dr. Manoj Kumar Chuhan & Dr. Sandeep Kumar*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.